आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No.– 06/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा **बनाम** अज्ञात व्यक्ति

आदेश

24.01.25

यह वाद पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक–500/अप0शा0, दिनांक–29.04.2024 द्वारा नाला थाना काण्ड संख्या–25/2024, दिनांक–24.02.2024 में जप्त करीब 10 (दस) टन कच्चा कोयला को अधिग्रहण (Confiscation) करने की आदेश किये जाने की अनुरोध पर दायर है।

पक्षकार के ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उक्त वाद में नाला थाना काण्ड संख्या–25/2024, दिनांक–24.02.2024 धारा–414/34 भा0द0वि0 4/21 (IV)(V) एम0एम0डी0आर0 एक्त–1957, में प्राथमिकी अभियुक्त अज्ञात के विरूद्ध अवैध रूप से कोयले का उत्खन्न कर व्यवपार हेतु भण्डारण करने के आरोप है। पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा द्वारा उक्त काण्ड में करीब 10 (दस) टन कच्चा कोयला को अधिग्रहण (Confiscation) करने की आदेश किये जाने की अनुरोध किया गया है।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(V) "Any Minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." के अनुसार उक्त काण्ड में जप्त 10 (दस) टन कच्चा कोयला जो एक नाशवान वस्तु है एवं उक्त वस्तु पर किसी का दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया, को अधिग्रहण/राज्यसात (Confiscation) किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः काण्ड में जप्त 10 (दस) टन कच्चा कोयला को अवैध मानते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017 की Rule 11(V) के तहत 10 (दस) टन कच्चा कोयला अधिग्रहण/राज्यसात (Confiscation) की जाती है।

जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना प्रभारी के उपस्थिति में वे नियमानुसार 10 (दस) टन कच्चा कोयला की निलामी कर, प्राप्त राशि सुसंगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जिला कोषागार, जामताड़ा में जमा करना सुनिश्चित करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
Asgr Malik
04.02.25

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.02.04 19:22:37 +05:30
Location: 192.168.43.106